

## कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल

दूरभाष-2550488,2550446,2553305,2551282 फ़ैक्स -0755-2555162

E-mail ID: [chiefelectoralofficermmp@gmail.com](mailto:chiefelectoralofficermmp@gmail.com), website: [ceomadhvapradesh.nic.in](http://ceomadhvapradesh.nic.in)

फा.क्र. 177 / निर्वाचन व्यय / 2019 / 10-05/4/निर्देश/ भोपाल दिनांक 05/04/2019

7569

प्रति,

कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी,  
समस्त मध्यप्रदेश।

**विषय:-** व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र एवं व्यय संवेदनशील पोकेट्स की पहचान किये जाने बाबत।

**संदर्भ:-** निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशों का सार संग्रह फरवरी-2019 दस्तावेज ब संस्करण 4 भाग 'ख' 11-ड.

निर्वाचन व्यय की दृष्टि से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में घटित हुई पिछली घटनाएं, घटना क्रम और अत्यधिक व्यय किये जाने और भ्रष्ट आचरण को अपनाये जाने की संभावनाये हो वह उन क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र अथवा पोकेट्स के रूप में पहचान की जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में एस.एस.टी. एवं एफ.एस.टी. दल अधिक लगाई जावे। ऐसे पोकेट्स पर एस.एस.टी. दलों द्वारा मतदान के अंतिम 3 दिनों के दौरान गहनता से निगरानी रखी जाती है।

1. जिला निर्वाचन एवं पुलिस अधीक्षक व्यय प्रेक्षक को परामर्श निर्वाचन क्षेत्र में व्यय संवेदनशील पोकेट्स की पहचान करेंगे। इन क्षेत्रों में मतदान के आखिरी 3 दिनों के दौरान स्टैटिक दलों द्वारा 24 घण्टे निगरानी की जायेगी। इस अवधि के दौरान एस.एस.टी. दल में केन्द्रीय पुलिस भी सम्मिलित होंगे।

2. जहां ये सूचना प्राप्त हो कि अभ्यर्थी निर्वाचन में बहुत अधिक मात्रा में व्यय कर रहा है तो ऐसे अभ्यर्थी को हर समय वीडियो निगरानी में रखा जायेगा।

कृपया निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।



(राजेश कुमार कौल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  
मध्यप्रदेश